उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-12/2019/1875/37-1-2019-2(23)/2018

लखनऊः दिनांक 06 सितम्बर, 2019

कार्यालय-आदेश

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद के स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित 02 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत पे बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 5400/-, पे मैट्रिक्स-10 में पशुचिकित्साधिकारी के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त करने तथा संलग्न सूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित जनपदों के रिक्त पशु चिकित्सालयों पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

2- इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

3- उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होगें।

4- उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5- सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6- समस्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8- उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

9- इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।।

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या:-12/2019/1875(1) /37-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-60/02/एस-2/डी/2016-17, दिनांक 28-04-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

(8) सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया नवनियुक्त अधिकारियों को प्रस्तर-8 में उल्लिखित प्रपत्रों/घोषणा पत्र के प्रारूप को उपलब्ध कराकर एवं सम्बन्धित प्रपत्रों को पूर्णरूपेण भरवाकर उन्हें तैनाती स्थल पर योगदान करायें और योगदान रिपोर्ट शासन/निदेशालय को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अवश्य प्रेषित करें।

(9) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

(10) संबंधित अधिकारियों को संलग्न सूची के अनुसार (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुवीर प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पशुधन अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-12/2019/1875/37-1-2019-2(23)/2018, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्मतिथि/गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
1	मंजीत राठौर पुत्र श्री राम सूरत राठौर	21.08.1988/ वाराणसी	ग्राम विशुनपुर, पो0 हरौआ, तहसील-पिण्डरा, जनपद-वारणसी।	मायचा, गौतमबुद्धनगर।
2	ज्ञानवीर सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	14.04.1985/ बरेली	54 वी, तुलसीनगर, यूनीवर्सिटी रोड, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006	म्यांऊ, बदायूँ।

रघुवीर प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।